(ख) यदि हां, तो देश की वर्तमान आर्थिक कठिनाइयों को देखते हुए ऐसी कार्यवाही क्यों की जा रही है ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

हिन्दी में पत्राचार

974. **श्री विश्राम प्रसाद :**
श्री काशी राम गुप्त :
श्री मोहन स्वरूप :
श्री नरदेव स्नातक :
श्री छ० म० केदरिया :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 26 जनवरी, 1965 से अगस्त, 1966 तक उनके मंत्रालय द्वारा बिहार, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सरकारों को (1) विधि तथा व्यवस्था, (2) जेल, (3) जन गणना तथा (4) आंतरिक शान्ति सम्बन्धी मामलों पर कितने पत्र और परिपत्र भेजे गये ;

(ख) इनमें से कितने पत्र या परिपत्र हिन्दी में भेजे गये अथवा कितनों के साथ उनका हिन्दी अनुवाद भेजा गया ; और

(ग) क्या कोई ऐसी व्यवस्था की जा रही है कि भविष्य में इन राज्यों की सरकारों को पत्र या तो हिन्दी में भेजे जायें अथवा उनका हिन्दी अनुवाद साथ भेजा जाये ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) इस अवधि के दौरान केवल विधि तथा व्यवस्था सम्बन्धी 7 परिपत्र ही जारी किये गये।

(ख) कोई नहीं।

(ग) हिन्दी सलाहकार समिति की एक उप-समिति ने इस विषय पर एक सिफारिश दी है जो अभी विचाराधीन है।

हिन्दी जानने वाले अधिकारी

975. **श्री काशी राम गुप्त :**
श्री विश्राम प्रसाद :
श्री नरदेव स्नातक :
श्री मोहन स्वरूप :
श्री छ० म० केदरिया :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों तथा उनसे सम्बद्ध तथा उनके अधीनस्थ कार्यालयों में कार्य कर रहे प्रथम तथा द्वितीय श्रेणी के राजपत्रित अधिकारियों में से कितने प्रतिशत अधिकारी हिन्दी जानते हैं; और

(ख) उनमें से कितने प्रतिशत अधिकारी अपना प्रशासकीय कार्य हिन्दी में कर रहे हैं अथवा हिन्दी में टिप्पण लिखने तथा प्रारूप तैयार करने को प्रोत्साहन दे रहे हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) (क) और (ख) सूचना एकत्रित की जा रही है और यथासमय सदन के सभा पटल पर रख दी जाएगी।

भारत सुरक्षा नियमों के अन्तर्गत राजस्थान में गिरफ्तारियां

976. **श्री ओंकार लाल बेरवा** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 1965-66 में भारत सुरक्षा नियमों के अन्तर्गत प्रत्येक राज्य में लोगों को गिरफ्तार किया गया था ;

(ख) यदि हां, तो 1965-66 में भारत सुरक्षा नियमों के अन्तर्गत राजस्थान में कितने व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया ; और

(ग) उनमें से कितने व्यक्तियों को सजा दी गई ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा संभरण मंत्री (श्री जयसुखलाल हाथी): (क) जी हां।

(ख) राजस्थान में भारत सुरक्षा नियमों के अन्तर्गत 1-1-65 से 30-9-66 तक गिरफ्तार होने वाले व्यक्तियों की संख्या 820 है।

(ग) 179.

कोटा में उर्वरक कारखाना

977. **श्री ओंकार लाल बेरवा** : क्या पैट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोटा, राजस्थान में एक उर्वरक कारखाना स्थापित करने की कोई योजना है ;

(ख) यदि हां, तो कारखाने की स्थापना में विलम्ब होने के क्या कारण हैं ;

(ग) यह कारखाना कब तक चालू किया जायेगा ; और

(घ) इस पर कुल कितना व्यय होगा और इसकी उत्पादन क्षमता क्या होगी ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री अलगेसन) (क) से (घ). कोटा में फर्टीलाइजर के साथ पी वी सी (Fertilizer—cum—PVC) सन्यन्त्र की स्थापना के लिये मेसर्ज दिल्ली क्लाथ एण्ड जनरल मिल्ज कम्पनी लिमिटेड को एक उद्योग-लाइसेंस दिया गया है। परियोजना के 1969 के मध्य तक चालू हो जाने की आशा है। तैयार हो जाने पर परियोजना की लागत 36 करोड़ रुपये होगी। सन्यन्त्र की क्षमता निम्न प्रकार होगी—:

तैयार होने वाले मद	मीटरी टन प्रति वर्ष
एमोनिया	160,000
यूरिया	240,000
डायमोनियम फास्फेट	60,000
एमोनियम क्लोराइड	30,000

कोटा में नाइट्रोजन के रूप में 10,000 मीटरी टन प्रति वर्ष की क्षमता के एक उर्वरक कारखाने की स्थापना के लिये श्री बी० एल० जलान के पास भी एक लाइसेंस है किन्तु स्कीम में अभी तक कोई महत्वपूर्ण प्रगति नहीं है।

डायरियों और कलेंडरों को भेजने के लिये डाक की दरें

978. **श्री ओंकार लाल बेरवा**: क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विदेशों में कैलेंडर तथा डायरियां भेजने के लिए डाक की दरों में कुछ कमी की गई है ;

(ख) यदि हां, तो वर्तमान दरें क्या हैं; और

(ग) इसके परिणामस्वरूप निर्यात में कितनी वृद्धि होने की आशा है ?

संसद-कार्य विभाग तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री जगन्नाथ राव) : (क) बनावट के सम्बन्ध में कुछ शर्तों के अनुसार बनी हुई डायरियां और डेस्क कैलेंडरों की मानार्थ भेजी जाने वाली कापियां विदेश डाक में 1 सितम्बर, 1966 से छपे हुए कागज-पत्रों पर लागू रियायती दरों पर स्वीकार की जाती है। फिर भी कैलेण्डरों के बारे में कोई रद्दो बदल नहीं की गई है, जिन्हें कुछ शर्तों के अन्तर्गत छपे हुए कागज-पत्रों की दरों पर विदेशों को पहले भी भेजा जा सकता था।

(ख) छपे हुए कागज-पत्रों के डाक-प्रभार की दरें ये हैं:—

50 ग्राम तक 30 पैसे

प्रत्येक 50 ग्राम या उनके किसी अंश के लिए 15 पैसे

(ग) निश्चित कुछ नहीं बताया जा सकता, क्योंकि देश में जितना निर्यात होता है उसका डायरियों और कैलेण्डरों से कोई सीधा सम्बन्ध नहीं है।